न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :—198/2020 दायर दिनांकः 11.11.2020

CCMS NO:- 2020/00370

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामचन्द्र पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. मोतीशंकर पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

——प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः—

प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

अप्रार्थी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज पटवार हल्का जरखोदा तहसील नैंनवां के प्रार्थी की खातेदारी व हक आधिपत्य की सम्वत 2074 से 2077 की कृषि भूमि खाता संख्या 237 के खसरा सं. 1102/253 रकबा 05—11 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी की खसरा संख्या 253 का मूल रकबा काफी बडा था तथा उक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी व प्रत्यार्थी संख्या 1 मोतीशंकर के पिता रामनाथ थे। रामनाथ जी के 4 संताने प्रार्थी रामचन्द्र व प्रत्यार्थी मोतीशंकर, कन्हैयालाल व रामभज उर्फ भज्जा है। रामनाथ जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का बंटवारा हो गया था तथा बंटवारा होने के उपरान्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1102/253 प्रत्यार्थी मोतीशंकर के हिस्से में आई थी तथा खसरा संख्या 1112/253 प्रत्यार्थी मोतीशंकर के हिस्से में आई थी इसी प्रकार अन्य भूमि अन्य भाईयों के हिस्से में आई थी तथा बंटवारा हुआ तब से इसी प्रकार उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे है तथा उसका इन्द्राज जमाबंदी में भी हो रहा हैं लेकिन उक्त भूमि के बटा बटी नम्बर राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रहे है उक्त भूमि को नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाये गये। A स्थान पर प्रत्यार्थी संख्या 1 की भूमि स्थित है तथा B स्थान पर प्रार्थी की भूमि स्थित है तथा प्रार्थी फतेहगंज से जरखोदा जाने वाले रोड से होकर प्रत्यार्थी संख्या 1 की कषि भूमि खसरा संख्या 1112/253 में होकर अपनी भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रों, जानवरों को लाने व ले जाने के रास्ते के रूप में उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट अ प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर जानवरो के लिए भूसा भरने के लिए एक कमरा बना रखा है तथा प्रार्थी परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्तेनुसार रास्ते का आपसी सहमति से बंटवारे के समय से ही आने जाने व जानवरो को लाने व ले जाने एवं कृषि यंत्रो को लाने व ले जाने के रूप में रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 20.10.2020 को प्रार्थी ट्रेक्टर लेकर चरण ... में वर्णित भूमि को हांकने के लिए उक्त रास्ते से होकर जा रहा था तभी प्रत्यार्थी सं... आड फिर गया और कहने लगा कि अब मै तुझे यहां होकर नही निकलने दूंगा। प्रत्यार्थी ... प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गया और प्रार्थी को वहां से भगा दिया। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थी को अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

कि प्रार्थी प्रत्यार्थी संख्या 1 को पाबंद करवाये कि वह नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये रास्ते पर से प्रार्थी के कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रो को लानें व ले जाने में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे व प्रार्थी के रास्ते के उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें, रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द व नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, रास्ता अवरूद्व कर बंद नहीं करे, ऐसा न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये तथा प्रार्थी नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को 20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवा कर उक्त रास्ते का राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में अंकन कराये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल खसरा गिरदावरी व नकल नक्शा ट्रेस, शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 के इकबाली जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्वत रूप से स्वीकार फरमा दिया जाये तो प्रत्यार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को दिया जाने वाला रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। यह कि उक्त रास्ते हेतु खसरा संख्या 1112/253 रकबा 04–12 बीघा मे से 3 गट्ठा चौडा एवं 13 गट्ठा लम्बा कुल 02 बिस्वा भूमि एंव खसरा संख्या 243 रकबा 00–03 बीघा में से 4 गट्ठा चौडा व 5 गट्ठा लम्बा कुल 01 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित दिया जाना उचित होगा। यह कि खसरा संख्या 1112/253 रकबा 04–12 बीघा मोतीशंकर पि0 रामनाथ कौम धाकड खातेदार दर्ज है तथा खसरा संख्या 243 रकबा 0–03 बीघा सिवायचक है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता खसरा संख्या 1112/253 में चाहा गया है जिसके अलावा प्रार्थी के आवासीय एंव कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में बहस सुनी गयी । तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम फतेहगंज पटवार हल्का जरखोदा तहसील नैंनवां के प्रार्थी की खातेदारी व हक आधिपत्य की सम्वत 2074 से 2077 की कृषि भूमि खाता संख्या 237 के खसरा सं. 1102/253 रकबा 05–11 बीघा कृषि भूमि पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 1112/253 रकबा 04–12 बीघा मे से 3 गट्ठा चौडा एवं 13 गट्ठा लम्बा कुल 02 बिस्वा भूमि एंव खसरा संख्या 243 रकबा 00–03 बीघा में से 4 गट्ठा चौडा व 5 गट्ठा लम्बा कुल 01 बिस्वा भूमि परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में डोटेड लाल लाइन से दर्शाया गया है के अनुसार 20 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उसका नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner